



अंत्योदय-सरल



भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड

निशक्तता सहायता-हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड (योजना)

पात्रता :

1. पंजीकृत कर्मकार।
2. राजकीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी की गई निशक्तता की प्रतिशतता के सम्बन्ध में निशक्तता प्रमाण-पत्र।

उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

1. रू0 1.50 से रू0 3.00 लाख
2. यदि निशक्तता नियोजन के दौरान कार्य-स्थल पर दुर्घटना के कारण हुई है और 50 प्रतिशत निशक्तता तक रू0 1.50 लाख, 51 से 75 प्रतिशत निशक्तता तक रू0 2.00 लाख और 75 प्रतिशत या अधिक निशक्तता के मामले में रू0 3.00 लाख की सहायता का भुगतान किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज :

1. पहचान/नागरिकता का सबूत : आधार कार्ड
3. चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण-पत्र



अंत्योदय—सरल



सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
आजीवन में एक बार पंजीकरण फीस रू0 25/- और रू0 5/- प्रति मास (रू0 60/- प्रतिवर्ष) अंशदान फीस के रूप में लाभार्थी द्वारा बोर्ड को भुगतान की जाएगी।	रू0 10/-	रू0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा : 90 दिन